बिहार सरकार

परिवहन विभाग

सं0सं0–02/कर माफी–12/2018 परि0

आदेश

पटना, दिनांक–

जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना के पत्रांक–1538, दिनांक–01.03.2018 के साथ प्रेषित कर माफी अभिलेख संख्या–09/2018 द्वारा प्रभारी पदाधिकारी, सेन्ट्रल इनटीग्रेटेड पेस्ट, मैनेजमेन्ट सेन्टर, पटना (भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन) के एक नये वाहन महिन्द्रा स्कॉर्पियो के कर माफी की अनुशंसा की गयी है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :–

Sl.	Type Vehicle	Chessis No.	Engine No.	Period of Road Tax	Total Amount	(in Rs.)
1	Mahindra Scorpio	MA1TA2TDKJ2A12944	TDJ4A76512	One Time Tax	Road Tax	42,452/-
					RSF	6,065/-
TOTAL						48,517/-

बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा–15 के संगत प्रावधानो के अतर्गत निर्गत विभागीय **अधिसूचना संख्या–910, दिनांक–23.02.2004** के आलोक में केन्द्रीय स्वामित्व वाले मोटर वाहनों के कर/अतिरिक्त कर से विमुक्ति प्रदान करने की शक्ति सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को प्रत्यायोजित है।

अतः जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना के पत्रांक–1538, दिनांक–01.03.2018 के साथ प्रेषित कर माफी अभिलेख संख्या–09/2018 द्वारा उपर्युक्त वाहन के कर माफी हेतु की गयी अनुशंसा एवं विभागीय अधिसूचना संख्या–910, दिनांक–23.02.2004 के आलोक में प्रभारी पदाधिकारी, सेन्ट्रल इनटीग्रेटेड पेस्ट, मैनेजमेन्ट सेन्टर, पटना (भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन) के उपर्युक्त वाहन के संगणित कुल कर **₹ 48,517.00 (अड़तालिस हजार पाँच सौ सतरह रुपये)** में से **₹ 42,452.00 (बयालीस हजार चार सौ बावन रुपये मात्र)** की विमुक्ति दी जाती है, क्योंकि बिहार मोटरवाहन कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2016 (बिहार अधिनियम 11, 2016) में सड़क सुरक्षा उपकर/अर्थदण्ड से माफी का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण सड़क सुरक्षा उपकर/अर्थदण्ड की राशि देय होगा। यह कर माफी इस शर्त्त के साथ प्रदान की जाती है कि गणना के पुनः सत्यापनोपरान्त सही पाये जाने पर ही यह आदेश प्रभावी होगा।

उपर्युक्त प्रस्ताव पर सचिव, परिवहन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

निबंधित/ई–मेल

ज्ञापांक :– 02/कर माफी–12/2018 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि :– जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, सेन्ट्रल इनटीग्रेटेड पेस्ट, मैनेजमेन्ट सेन्टर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 02/कर माफी–12/2018 3756 पटना, दिनांक– 6/6/18

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/बजट पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।